न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां केम्प सलावटिया बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः—130 / 2017 दायर तारीख 17.10.2017

अनवान

1. भेरुलाल पिता माधु जाति भील उम्र बालिग निवासी खडीपुर
2. भंवरलाल पिता खाना जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सलावटिया
3. मांगीलाल पिता गोपी जाति भील उम्र बालिग निवासी सलावटिया
4. प्रेम बाई पुत्री गोपी जाति भील उम्र बालिग निवासी सलावटिया
5. कन्हैयालाल पिता देवा जाति भील उम्र बालिग निवासी सलावटिया
6. मोडी देवी पत्नि देवा जाति भील उम्र बालिग निवासी सलावटिया
7. पप्पू पिता मोहन जाति भील उम्र नाबालिग ब0बि0माता प्रेम बेवा मोहन भील निवासी खडीपुर
8. नीरु पिता मोहन जाति भील उम्र नाबालिग ब0बि0माता प्रेम बेवा मोहन भील निवासी खडीपुर
9. चन्दा पिता मोहन जाति भील उम्र नाबालिग ब0बि0माता प्रेम बेवा मोहन भील निवासी खडीपुर
10. दूदी पिता मोहन जाति भील उम्र नाबालिग ब0बि0माता प्रेम बेवा मोहन भील निवासी खडीपुर
11. प्रेम बेवा मोहन जाति भील उम्र बालिग निवासी खडीपुर

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत सलावटिया जरिये सरपंच / सचिव सलावटिया
2. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार बिजौलिया

उपस्थित :— श्री सुनील बाकलीवाल अधिवक्ता अप्रार्थीगण

पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार बिजौलिया)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :— 22.05.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि मोजा सलावटिया प0ह0 सलावटिया तहसील बिजौलियां की आराजी नं0 524 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा,1297 / 525 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नं0 1298 / 529 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नं0 1299 / 530 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 7 बीघा भूमि भेरुलाल पप्पू नीरु चन्दा दूदी प्रेम भील के नाम संयुक्त सामलाती खाते में दर्ज है एंव खाता संख्या 214 की आराजी नं0 1286 / 519 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नं0 1296 / 524 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नं0 1296 / 525 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भंवरलाल पिता खाना मीणा के नाम दर्ज है

आराजी नं0 526 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नं0 527 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नं0 528 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि चरागाह के रुप ग्राम पंचायत सलावटिया आबादी चरनोट के रुप में दर्ज रिकार्ड है। उक्त रास्ता एन0एच0 27 से होता हुआ आराजी नं0 526, 525, 527, 528 दक्षिण से उत्तर की ओर होता हुआ पश्चिम मेर के सहारे सहारे प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी से पहुँचता है। जिसमें आने जाने का रास्ता विपक्षीगण की आराजी नं0 526, 525, 527, 528 दक्षिण से उत्तर की ओर होता हुआ पश्चिम मेर के सहारे सहारे होकर 12 फीट चोडा रास्ता स्थित है। जिसमें प्रार्थी पैदल सजबेल, टेक्टर से आने जाने का रास्ता स्थित है प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग बरसो से करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर से होकर अपनी अपनी आराजीयात पर आने जाने हेतु 12 फीट चौडा रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है मौके पर दक्षिण से उत्तर की ओर होता हुआ पश्चिम मेर के सहारे सहारे होता हुआ प्रार्थीगण की आराजीयात में पहुँचता है। विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते को दिनांक 15.07.2017 को बन्द कर दिया है प्रार्थीगण को निकलने के लिये मना कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में पहुँचने से महरुम हो रहे है एंव फसल की देखरेख नही कर पा रहे है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने का 12 फीट चोडा रास्ता विपक्षीगण की आराजी नं0 526, 525, 527, 528 दक्षिण से उत्तर की ओर होता हुआ पश्चिम मेर के सहारे सहारे उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सलावटिया तहसील बिजौलियां में प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने का रास्ता जो 12 फीट चोडा रास्ता स्थित है। उक्त 12 फीट चोडा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है प्रार्थी नियमानुसार डी0एल0सी0 राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में रास्ता नही होने से उक्त खेत पडत पडे हुए है। उक्त रास्ता दर्ज किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण को तलवी जरिये नोटिस मय नकल भेज करवाई गई।

पेरोकार सरकार विपक्षी ने अपने जवाब में अंकित किया कि ग्राम सलावटिया प0म0 सलावटिया की आ0नं0 524, 1297/525, 1298/529, 1299/530, 1286/519, 1225/524, 1296/525, 529, 1300/530, 1304/528, 536, 665, 1302/530, 1303/529, 1305/528, 1306/537, 1313 भूमि में आने जाने के लिये 12 फीट चौडा रास्ता चरागाह आ0नं0 525, 526, 527, 528 भूमि के पश्चिमि मेड के सहारे प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में पहुँचने के लिये रास्ता चाहता है। श्रीमान तहसीलदार बिजौलियां के पत्र क्रमांक/राजस्व/2018/147 दिनांक 06.02.2018 के द्वारा श्रीमान जी को मौका रिपोर्ट भेजकर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण ग्राम पंचायत सलावटिया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड के ख0नं0 526 में से 0–06 बीघा (336 गुणा 15) वर्ग फीट भूमि प्रार्थीगण के रास्ते हेतु चाहिये प्रार्थी द्वारा नियमानुसार राशि जमा कराने की सहमती भी जाहिर की गई है। लेकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत चरागाह भूमि में से रास्ता व अन्य व्यक्तिगत कार्य हेतु भूमि दिया जाने हेतु प्रतिबंधित किया हुआ है। नियमानुसार चारागाह भूमि में से रास्ता दिया जाना उचित नही है। प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाने हेतु जवाब पेश है।

प्रार्थना पत्र मे बहस अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की सूनी गई।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

(3)

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं की खातेदारी में आने जाने के लिये 12 फीट चोडा रास्ता विपक्षीगण के नाम दर्ज आराजी नं0 526, 525, 527, 528 दक्षिण से उत्तर की और होता हुआ पश्चिम मेर के सहारे सहारे उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की मांग की है। विपक्षी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर ग्राम सलावटिया की आ0नं0 526, 525, 527, 528 किस्म चरागाह भूमि से रास्ता दिया जाना उचित नही माना है। प्रकरण में पेरोकार सरकार ने अपने पत्रांक से की नायब तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक 464 दिनांक 24.04.2018 के अनुसार प्रार्थी चारागाह भूमि मे से रास्ता चाहता है परन्तु धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चरागाह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। अतः मेरीट के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.05.2018 को मुकाम लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

22/05/18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
(केम्प सलावटिया)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी (राज.)
बिजौलियां (भीलवाड़ा)